न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा गुप्ता (I.A.S.)
अपील : 38/2025
तारीख रज्जू : 21.01.2025

निर्णय दिनांक : 06.05.2026

उनवान

1. रामसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति अहीर निवासी डाबला रोड, कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली, जिला कोटपूतली बहरोड

– रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.07.2024 तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड़।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

01. वकील श्री जितेन्द्र कुमार रावत अपीलान्ट की ओर से।
02. पैरोकार सरकार।

।। निर्णय ।।

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कोटपूतली के आदेश दिनांक 22.07.2024 जिसके द्वारा अपीलार्थी को बेदखल किए जाने एवं लगान की 50 गुणा पैनल्टी वसूल किए जाने की आज्ञा से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि हल्का पटवारी सरूण्ड ने तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि सम्वत् 2081 में वाके ग्राम सरूण्ड के खसरा नम्बर 814/0.35, 815/0.01, 817/0.30, 690/0.85 हैक्टेयर मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार संवत् 2074–77 मंदिर श्री नृसिंह जी वाके देह हाजा पर रामसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति अहीर निवासी डाबला रोड कोटपूतली ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है, जिस पर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा अपीलाण्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय मांगा गया, किन्तु पत्रावली में जवाब प्रस्तुत होने से पूर्व ही बिना जवाब बन्द किये तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 22.7.2024 को आदेश पारित कर दिये। हल्का पटवारी द्वारा कभी मौके पर जाकर भूमि का नापतौल, पत्थरगढ़ी अथवा सीमा ज्ञान नहीं कराया गया तथा बिना मौके की जांच किये मात्र कयास के आधार पर झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण, निर्माण कार्य, फसल काश्त अथवा जुताई नहीं की गई है, फिर भी पटवारी हल्का ने कार्यालय में बैठकर गलत रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने केवल पटवारी के बयानों एवं रिपोर्ट के आधार पर बिना मौका देखे तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित कर दिया, जो विधि विरुद्ध है। प्रकरण में वर्णित भूमि मंदिर मूर्ति की खातेदारी भूमि है एवं खातेदारी भूमि में तहसीलदार को धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि ऐसी भूमि में केवल धारा 183 राज० टेनेन्सी एक्ट के अंतर्गत नियमित वाद द्वारा ही कार्यवाही की जा सकती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट के प्रावधानों एवं उस पर प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

वकील अपीलान्ट ने अन्त में निवेदन किया कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार कर अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार कोटपूतली, बउनवानी मुकदमा सरकार बनाम रामसिंह, मुकदमा नम्बर 37/2024, धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट, आदेश दिनांक 22.7.2024, बाबत खसरा नम्बर 814/0.35, 815/0.01, 817/0.30, 690/0.85 हैक्टेयर वाके मौजा सरूण्ड, तहसील कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान को निरस्त फरमाया जाकर कार्यवाही ड्रॉप किये जाने की कृपा की जावे।

पैरोकार सरकार का तर्क है कि संवत 2081 वाके ग्राम सरूण्ड तहसील कोटपूतली के आराजी ख० नं0 814/0.35, 815/0.01, 817/0.30, 690/0.85 हैक्टेयर मुताबिक राजस्व रिकार्ड

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार संवत 2074–77 मन्दिर श्री नृसिंह जी वाके देह हाजा हिस्सा पूर्ण जाति मन्दिर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बरान पर रामसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति अहीर निवासी डाबला रोड कोटपूतली ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3(2) राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 के निर्देशानुसार मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति में पूजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के विरूद्ध करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितो के संरक्षण हेतु दायित्वधीन होंगे। प्रकरण में गैरसायल को विधिवत नोटिस दिये गये। जिनकी तामील होने के उपरान्त गैरसायल नही आने पर उक्त आराजी पर किये गये अतिक्रमण से गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये गये। इस प्रकार अपीलाण्ट/अतिक्रमी के विरूद्ध अतिक्रमण करने पर नियमानुसार विधिवत् एवं सही तथ्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये है, जो सही है तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। अन्त में पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाने की कृपा करें।

हमने वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तथा कानून की मंशा देखी गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कोटपूतली की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा आराजी ख० नं0 814/0.35, 815/0.01, 817/0.30, 690/0.85 हैक्टेयर वाके मौजा सरूण्ड, तहसील कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड पक्का निर्माण कर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके लिए अपीलान्ट को अतिक्रमण/कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट ने राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है। तहत न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत विधिवत् सुनवाई करते हुए निर्णय पारित किया है। अतः तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 22.07.2024 को पारित आदेश सही साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। निर्णय प्रति के साथ तहत न्यायालय की मूल पत्रावली वापस भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अपर्णा गुप्ता)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़